न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कंसौटिया, (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या:– 9/2024

अपीलार्थीगण	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
01.प्रभुराम पुत्र श्री हनुमानराम 02.शेराराम पुत्र श्री हनुमानराम 03.भानाराम सिंगड़ पुत्र श्री हनुमानराम 04.मडिया देवी पत्नी श्री हनुमानराम जातियान जाट, निवासीण ग्राम नन्दवान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।		01.प्रभा वैध पुत्री श्री बालकृष्ण लोहिया 02.पवन माहेश्वरी पुत्र श्री बालकृष्ण लोहिया 03.रमा देवी पत्नी श्री बालकृष्ण लोहिया 04.राजेश लोहिया पुत्र श्री बालकृष्ण लोहिया 05.ललित लोहिया पुत्र श्री बालकृष्ण लोहिया जतियान माहेश्वरी, निवासीगण सरदारपुरा, जोधपुर । 06.ग्राम पंचायत नन्दवान, जरिये सरपंच ।

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2253 जो ग्राम पंचायत नन्दवान द्वारा दिनांक 05.02.2024 को ग्राम नन्दवान, तहसील लूणी के खसरा संख्या 684/277 के सम्बन्ध में स्वीकृत किया गया ।

उपस्थित:–

01.अपीलार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।

02.रेस्पोडेन्ट संख्या एक से पांच स्वयं ।

निर्णय दिनांक :– 13/08/2024

पत्रावली में बहस सुनी गयी । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम नन्दवान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में कृषि भूमि मूल खसरा संख्या 684/277 आयी हुई हैं जो कि पूर्व में मूल खसरा संख्या 277 के समस्त बटटा नं0 के एकीकरण से नवसृजित खसरा बना हुआ हैं । ग्राम नन्दवान के खसरा संख्या 277/6 के खातेदार बालकृष्ण लोहिया पुत्र महेशदासजी थे जिनका यह खसरा भी एकीकरण के तहत खसरा संख्या 684/277 में मर्ज हो गया । खातेदार बालकृष्ण लोहिया द्वारा अपीलाण्टगण संख्या एक से तीन के हक में रकबा 1.2380 बिस्वा एवं अपीलाण्ट संख्या चार के हक में रकबा 5.59187 बिस्वा के अलग अलग बेचान दिनांक 28.07.2022 को किये गये । इस प्रकार से अपीलाण्टगण बहैसियत खातेदार के उक्त खसरा पर मालिक काबिज हैं । अपीलाण्टगण द्वारा अपनी खरीदसुदा भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया गया एवं अपने बेचाननामें की फोटो प्रति दिनांक 30.07.2022 को ही दे दी गयी थी तथा पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को कहा कि आगामी ग्राम पंचायत की होने वाली मिटींग में आपका नामान्तरकण स्वीकृत करवा दिया जावेंगा इस पर अपीलाण्ट आशवस्त रहें कि अपीलाण्ट के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिये गये होगे । हाल ही में दिनांक 10.03.2024 को अपीलाण्ट अपनी उक्त खरीदसुदा जायदाद को अकृषिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाने के उद्धेश्य से पटवारी हल्का से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की नकल मांगी गयी तो पटवारी हल्का ने बताया कि बालकृष्ण लोहिया तो फौत हो चुके हैं एवं उनके स्थान पर तो रेस्पोडेन्ट संख्या एक से पांच का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया हैं एवं आपका नाम तो राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज ही नहीं हैं एवं अब इन्द्राज करने से पटवारी हल्का ने इस कारण से मना कर दिया कि बालकृष्ण लोहिया के नाम से उक्त खसरा दर्ज नहीं हैं तथा वारिसों के नाम से दर्ज हैं इस कारण से उक्त बेचाननामों के आधार पर नामान्तरकरण किया जाना संभव नहीं हैं । इस पर अपीलार्थी ने पटवारी हल्का से सारे राजस्व रेकर्ड की नकलें निकलवाई तो अपीलार्थी को ज्ञात हुआ कि नामान्तरकरण संख्या 2253 दिनांक 05.02.2024 के जरिये उक्त खसरें की भूमि के खातेदार बालकृष्ण लोहिया के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक से पांच के नाम से दर्ज की जा चुकी हैं रेस्पोडेन्ट को बेचानसुदा भूमि भी विरासत के नामान्तरकरण संख्या 2253 के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या एक से पांच के नाम से दर्ज कर दी गयी हैं जो कि कानूनन गलत हैं ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की प्रथम जानकारी में दिनांक 10.03.2024 को आते ही यह अपील उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अन्दर म्याद निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही हैं :–

ए. "यह है कि ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण जैर अपील मनमाने ढ़ंग से स्वीकार करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की हैं ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

बी. यह हैं कि ग्राम पंचायत के समक्ष नामान्तरकरण जैर अपील की स्वीकृति हेतु कोई आधार ही नहीं था ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाण्टगण की खरीदसुदा भूमि भी रेस्पोडेन्ट संख्या एक से पांच के हक में नामान्तरकरण संख्या 2253 के जरिये नामान्तरकरण स्वीकृत कर दर्ज कर दी गयी, ग्राम पंचायत ने बिना किसी आधार के नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकार कर दिया ।

सी. यह हैं कि ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकार करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जॉच नहीं की एवं केवल मात्र पटवारी हल्का द्वारा दर्ज नामान्तरकरण को ही सही मानते हुए उसे उसी रूप में स्वीकृत कर दिया जो कि काबिले खारिज योग्य हैं ।

डी.यह कि विवादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट अपनी खरीदसुदा जायदाद पर बहैसियत खातेदार के काबिज हैं ।

ई.यह कि नामान्तरकरण जैर अपील की स्वीकृति से पूर्व कब्जें के बारें में कोई जॉच नहीं की गई एवं बिना कब्जें के कोई नामान्तरकरण स्वीकार किया ही नहीं जा सकता था ।

एफ. यह कि नामान्तरकरण जैर अपील की कार्यवाही करने एवं इसे स्वीकार करने में हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तथा ग्राम पंचायत ने राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू लैण्ड रेकर्ड रूल्स की नितान्त अवहेलना की हैं इस कारण भी अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

अंत में निवेदन किया कि :– अतः अपील पेश कर निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जावें एवं ग्राम नन्दवान, तहसील लूणी के अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2253 जो कि ग्राम पंचायत नन्दवान द्वारा दिनांक 05.02.2024 को स्वीकृत किया गया हैं उसे निरस्त किया जावें तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जावें कि अपीलाण्टगण की खरीदसुदा भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करने के पश्चात शेष बची भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या एक से पांच के नाम से दर्ज की जावें।

उक्त अपील के साथ में अपीलाण्टगण द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया ।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक से पांच द्वारा उक्त अपील को स्वीकार करने हेतु निम्न प्रकार से अपनी सहमती पेश की गयीः–

कि अपीलाण्ट की ग्राम नन्दवान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में कृषि भूमि मूल खसरा संख्या 684/277 आयी हुई हैं जो कि पूर्व में मूल खसरा संख्या 277 के समस्त बटटा नं0 के एकीकरण से नवसृजित खसरा बना हुआ हैं । ग्राम नन्दवान के खसरा संख्या 277/6 के खातेदार बालकृष्ण लोहिया पुत्र महेशदासजी थे जो कि हम रेस्पोडेन्ट के पिता थे जिनका यह खसरा भी एकीकरण के तहत खसरा संख्या 684/277 में मर्ज हो गया । खातेदार बालकृष्ण लोहिया द्वारा अपीलाण्टगण संख्या एक से तीन के हक में रकबा 1.2380 बिस्वा एवं अपीलाण्ट संख्या चार के हक में रकबा 5.59187 बिस्वा के अलग अलग बेचान दिनांक 28.07.2022 को किये गये । इस प्रकार से अपीलाण्टगण बहैसियत खातेदार के उक्त खसरा पर मालिक काबिज हैं । उक्त बेचाननामों के आधार पर अपीलाण्ट का नामान्तरकरण दर्ज होने से पूर्व ही हमारे पिता यानि बालकृष्ण लोहिया का देहान्त हो जाने से नामान्तरकरण संख्या 2253 के जरिये हम रेस्पोडेन्ट संख्या एक से पांच के नाम से दर्ज हो गया जबकि पहले अपीलाण्ट की खरीदसुदा जायदाद का नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिये था एवं शेष बची हुई कृषि भूमि विरासत के नामान्तरकरण के जरिये हम रेस्पोडेन्ट के नाम से दर्ज होनी चाहिये थी । ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का रेस्पोडेन्ट संख्या एक से पांच समर्थन करते हुए अपनी सहमती व्यक्त कर रहें हैं ।

प्रकरण में बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । चूंकी रेस्पोडेन्ट संख्या एक से पांच द्वारा उक्त अपील को स्वीकार करने में अपनी सहमती पेश की गयी हैं इस कारण से अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 म्याद अधिनियम का स्वीकार करते हुए अपील स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती हैं ।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम पंचायत नन्दवान द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2253 को खारिज करते हुए अपीलाण्टगण के हक में निष्पादित बेचाननामों के पश्चात शेष बची हुई कृषि भूमि पुनः रेस्पोडेन्ट संख्या एक से पांच के हक में दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये जाते हैं । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(पुख[illegible])RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
लुणी, जिला जोधपुर।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी